पत्र संख्या :- 4/ खा० म० नीति 101/72 - 4725 / रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री उदय नारायण राय,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त सभी समाहर्त्ता ।

पटना -15, दिनांक 14/16 अगस्त 1972 ।

विषय :- सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि भारतीय सेना में अधिक-से-अधिक लोग भर्त्ती हों इसके निमित राज्य सरकार ने अपने पत्रांक ए०/जी० एम०-1-0-1763-1946-आर, दिनांक 23 मार्च, 1963 में यह निर्णय लिया कि 5 (पांच) एकड़ जमीन कृषि कार्य के लिए तथा 12.5 डिसमील जमीन आवास के लिये प्रत्येक सैनिक :-

(क) जो कम-से-कम 6 महीनों तक लगातार सैनिक सेवा कर चुके हों और उक्त सेवा में बरकरार हों, तथा

(ख) जो कार्यरत रहते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके हों या अपाहिज हो चुके हो उनके परिवार के साथ सलामी एवं 5 वर्षों तक वार्षिक लगान बिना लिए ही बन्दोबस्त की जाय । सैनिकों के साथ जमीन बन्दोबस्त करने की शक्ति जिला के समाहर्ता को राजस्व विभागीय पत्रांक ए० जी० एम० 1764-1551 आर, दिनांक 24 फरवरी 1964 द्वारा प्रदत्त की गई । बाद में राजस्व विभागीय पत्रांक 8978 - आर, दिनांक 20 दिसम्बर 1968 द्वारा यह स्पष्टीकरण भेजा गया कि सैनिकों को केवल देहाती क्षेत्रों में ही जमीन दी जायेगी ।

2- उपर्युक्त वर्णित सरकारी अनुदेशों के संबंध में विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछे जाने लगे । अत: सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती संबंधी सरकारी नीति के प्रत्येक पहलू पर पुनर्विचार कर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय किया है :-

(क) जिन सैनिकों की सेवाएं आर्म फोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत आती है और जो कम-से-कम 6 महीने तक लगातार आर्म फोर्स ऐक्ट के अन्तर्गत सेवा कर चुके हैं तथा अभी कार्यरत हैं उन्हें 2 (दो) एकड़ जमीन कृषि कार्य एवं 12-½ डिसमील जमीन आवास के लिए दी जाय ।

(ख) जो सैनिक कार्यरत रहते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर चुके हैं उनके परिवार के साथ या युद्ध में घायल होकर विकलांग हो गये हों उनके साथ 5 (पांच) एकड़ कृषिकार्य एवं 12-½ डिसमील आवास के लिए बन्दोबस्त की जाय ।

(ग) बोर्डर सिक्यूरिटी फोर्स, बी० एम० पी०, टेरिटोरियल आर्मी, सेन्ट्रल रिजर्व फोर्स, बोर्डर स्काउट्स, बी० आर० एफ०, लोक सहायक सेवा, एन० सी० सी० होम गार्ड्स और आसाम राइफल (किन्तु अन्य आरक्षी दल नहीं) के जवानों की सेवाएं युद्धकाल में महत्वपूर्ण होती है अत: इन्हें भी अन्य सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सूची - । वर्मा एवं पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी) के व्यक्तियों की भांति 2 (दो) एकड़ जमीन कृषि कार्य के लिए तथा 12-½ डिसमील जमीन आवास निर्माण के लिए दी जाए बशर्ते कि -

(1) सेलर्स, सोलजर्स एवं एअर मेन बोर्ड द्वारा उनका आवेदन-पत्र अनुशंसित हो, तथा

(2) कम-से-कम 6 महीनों तक लगातार संतोषजनक सेवा कर चुके हों (इस संबंध में सेलर्स, सोलजर्स एवं एअर मेन बोर्ड प्रमाण-पत्र देगा) ।

(3) परन्तु ऐसे सैनिकों में जो कार्यरत रहते हुए वीरगति प्राप्त कर चुके हैं उनके परिवार के साथ या जो युद्ध में घायल होकर विकलांग या लाचार हो गये हों उनके साथ 5(पांच) एकड़ कृषि कार्य एवं 12 1/2 डिसमील जमीन आवास के लिए बन्दोबस्त की जाय ।

(घ) सेवा से निवृत सैनिकों को भी उसी तरह जमीन दी जाय जिस प्रकार अन्य सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को सरकारी जमीन कृषि कार्य एवं आवास निर्माण के लिए दी जाती है अर्थात् कृषि कार्य के लिये 2 (दो) एकड़ तथा आवास के लिए 12 1/2 डिसमील बशर्ते कि-

(1) सैनिक सेवा में रहते हुए ही जमीन की बन्दोबस्ती के लिए आवेदनपत्र दिये हों तथा

(2) आवेदक भूमिहीन हों, अर्थात् वास की जमीन को मिलाकर 50 डिस्मील से अधिक जमीन उन्हें नहीं हो,

(ङ) कृषि कार्य एवं आवास के लिए जो भी जमीन उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकार के सैनिकों को दी जाएगी वह राज्य के देहाती क्षेत्रों में ही केवल दी जायेगी ।

Scanned by CamScanner

(च) पूर्व निर्णय के अनुसार जमीन की बन्दोवस्ती बिना सलामी के की जायेगी जहां तक वार्षिक लगान की बात है जो सैनिक आ. फोर्स एक्ट के अन्तर्गत कार्य करते हैं उनसे 5 (पांच) वर्षो तक वार्षिक लगान नहीं लिया जाय बशर्ते कि बन्दोबस्ती की तिथि से अगले 5 (पांच) वर्षो तक वे सैनिक सेवा में बरकरार रहें। अगर ऐसे सैनिक युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर गये हों या युद्ध में घायल अथवा अपाहिज होकर सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिए हों तो उनके परिवार से बन्दोबस्ती की तिथि से अगले 5 (पांच) वर्षो तक कोई वार्षिक लगान नहीं लिया जायेगा। परन्तु जो सैनिक अन्य कारणों से सैनिक सेवा से हटा लिये गये हों या स्वतः सेवा पूरा करके अवकाश प्राप्त कर लिये हों उन्हें सैनिक सेवा से हटने की तिथि से वार्षिक लगान देना होगा। उपर्युक्त कण्डिका (ग) और (घ) में वर्णित सैनिकों की बन्दोबस्ती की तिथि से ही वार्षिक लगान देना होगा।

(छ) उपर्युक्त वर्णित तरीके से जमीन बन्दोवस्ती करने के पहले यह अवश्य देख लिया जाय कि आवेदक सैनिक बिहार राज्य के वाशिन्दे हैं और उनके पास अपनी जमीन है या नहीं। अगर उनके पास थोड़ी जमीन पायी जाय तो उतनी ही जमीन की बन्दोबस्ती की जाय ताकि कुल जमीन उपर्युक्त कण्डिकाओं में निर्धारित अधिसीमा से अधिक न हो। जो भी जमीन सैनिकों के साथ बन्दोबस्त की जाय वह सब प्रकार से विवादमुक्त होनी चाहिये। अगर कोई आवेदक सैनिक स्वयं किसी जमीन की बन्दोबस्ती का आवेदन करें तो स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा उक्त जमीन की पूरी जांच-पड़ताल करा ली जाय और जब वह जमीन सब प्रकार से विवादमुक्त पायी जाय तभी उसकी बन्दोबस्ती उस आवेदक सैनिक के साथ की जाय।

3- सैनिकों के साथ जमीन बन्दोवस्त करने की शक्ति पूर्ववत जिला के समाहर्त्ता को ही रहेगी। अपनी शक्ति के प्रयोग में जिला के समाहर्त्ता देहाती क्षेत्रों के गैरमजरूआ मालिक या खास जमीन की ही बन्दोबस्ती करेंगे। गैरमजरूआ आम जमीन अगर उसकी प्रकृति बदल गयी है और स्थानीय आम जनता को उसकी बन्दोबस्ती में कोई आपति नहीं है (आप इश्तहार जारी कर ही इसे दरियाफ्त किया जायेगा) तो उसकी बन्दोबस्ती पूर्ववत सरकार के ही अनुमोदन से होगी।

4- उपर्युक्त कण्डिकाओं में वर्णित सरकारी आदेश इस परिपत्र के निर्गत होने की तिथि से लागू समझा जाएगा। इस तिथि के पूर्व इस संबंध में जितने भी आदेश निर्गत हुए हैं सभी प्रभावहीन समझे जायेंगे।

5- इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना कृपया दें।

विश्वासभाजन

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

ज्ञापक - 4/ खा० म० -नीति 101 / 72 - 4725 - रा०
पटना - 15, दिनांक 14/16 अगस्त, 1972।

* प्रस्ताव में गैर-सरकारी तौर पर सहमति प्राप्त] प्रतिलिपि वित्त* विभाग/राजनीति (सामान्य) विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

ज्ञापक - 4/ खा० म० -नीति 101 / 72 - 4725 - रा०
पटना - 15, दिनांक 14/16 अगस्त, 1972।

प्रतिलिपि सचिव, सोलजर्स, सेलर्स एवं एअर मेन बोर्ड सभी अपर समाहर्त्ता को सूचनार्थ प्रेषित।

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

ज्ञापक - 4/ खा० म० -नीति 101 / 72 - 4725 - रा०
पटना - 15, दिनांक 14/16 अगस्त, 1972।

प्रतिलिपि निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उदय नारायण राय
सरकार के सचिव।

Scanned by CamScanner